शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक-52 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 22-29 दिसम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

# क्या प्रदेश को उद्योगों के भरोसे ही चलाया जा सकता है

**शिमला/शैल।** क्या औद्योगिक विकास हिमाचल के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का सूत्र बन सकता है? यह प्रश्न सुक्खू सरकार के दावे के बाद प्रासंगिक हो जाता है। हिमाचल में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार शान्ता कुमार के नेतृत्व में बनी थी तब प्रदेश में औद्योगिक विकास का रास्ता अपनाया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई और उसके बाद आज तक आने वाली हर सरकार ने उद्योगों की स्थापना और उनको बढ़ावा देने की नीति अपनायी है। हिमाचल में 1977 के बाद दो बार शान्ता कुमार मुख्यमंत्री बने दो बार ही प्रेम कुमार धूमल और एक बार जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। करीब 20 वर्षो तक प्रदेश में संघ पोषित विचारधारा के मुख्यमंत्री रहे हैं। संघ पोषित विचारधारा उद्योगों में प्राइवेट सैक्टर की पक्षधर रही है। जो आज केंद्र सरकार के इस दिशा में आचरण से स्पष्ट हो जाता है। 1977 से आज तक करीब तीस वर्ष कांग्रेस की सरकार स्व. रामलाल ठाकुर, स्व. वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कार्यरत है। लेकिन कांग्रेस की सरकारें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी का विकल्प नहीं खोज पायी हैं। 1977 से आज तक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने अपनी सोच के मुताबिक सुविधा प्रदान की नीतियां अपनायी। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया। शान्ता कुमार स्वयं होटल उद्योग में आये प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी जमीन पर बने होटल यामिनी को प्राइवेट जमीन के साथ तबादले की सुविधा प्रदान की गयी। कुल मिलाकर उद्योगों के लिये सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिये। बिजली की उपलब्धता के नाम पर उद्योगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन इसी औद्योगीकरण से प्रदेश को हासिल क्या हुआ जो सार्वजनिक उपक्रम इन उद्योगों की सुविधा के लिये स्थापित किये गये थे उनमें से वित्त निगम जैसे कितने संस्थान लगभग खत्म हो चुके हैं। 90% सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और प्रदेश का कर्ज एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। रोजगार के नाम पर आउटसोर्स, मल्टी टास्क और मित्र योजना तक प्रदेश पहुंच गया है। आज प्रदेश नये संस्थान खोलने के नाम पर पुराने संस्थाओं को बन्द करने के कगार पर पहुंच गया है। सरकार ने जब भी कर्ज लिया है तो हमेशा विकास योजनाओं के नाम पर लिया है। विकास से परिणामत: आय होना स्वाभाविक है चाहे सरकार को हुई हो या आम आदमी को। यदि सही में विकास पर किये गये निवेश से आये हुई होती तो प्रदेश को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लेने की स्थिति न खड़ी होती। आज कर्ज के जिस आंकड़े पर प्रदेश पहुंच चुका है उससे भविष्य लगातार प्रश्नित होता जा रहा है। आज सरकारें चुनाव जीतने के लिये समाज को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आर्थिक प्रलोभनों के सहारे चल रही है यह भूल रही है कि जिस छोटे से वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया जाता है उसकी भरपाई तो प्रदेश को करनी पड़ती है। आज समय आ गया है जब पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्रों पर यह शर्त लगानी पड़ेगी की क्या आप यह सुविधा कर्ज और शुल्क के रूप में तो नहीं वसूल करेंगे। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है यहां कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के शोध को यहां के गांव तक ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बड़े औद्योगिक निवेश से जीडीपी का आंकड़ा बढ़कर सरकार के कर्ज लेने की सीमा और बढ़ जाती है परन्तु उससे आम आदमी को व्यवहारिक लाभ नहीं पहुंचता है।

# आपदा राहत के आंकड़ों पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में आपदाओं के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 601.92 करोड रूपये की वित्तीय सहायता को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इस सहायता को 'आपदा पीड़ित हिमाचल के ज़ख्मों पर मरहम' बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। भाजपा इसे केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और हिमाचल के प्रति विशेष लगाव का प्रमाण मान रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण रखता है।

भाजपा का तर्क है कि मोदी सरकार ने संकट की घड़ी में हिमाचल को अकेला नहीं छोड़ा। अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से प्रदेश की सड़कों, पुलों, ग्रामीण ढांचे और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे समय में 601.92 करोड़ रूपये की NDRF सहायता राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यो को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा यह भी रेखांकित करती है कि तटीयकरण और नदी चैनलाइजेशन जैसे कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक 8,625 करोड रूपये का आवंटन किया जा चुका है, जो दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन की दिशा में बड़ा निवेश है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सहायता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ज़मीनी स्तर पर पुनर्निर्माण, सुरक्षा कार्य और भविष्य की आपदाओं से बचाव संभव होगा। अवैध खनन और जंगल कटान से नदियों के स्वरूप में आये बदलाव को भी आपदा की तीव्रता का एक कारण बताया जा रहा है, और केंद्र की मदद को इन प्रभावों को संतुलित करने की दिशा में आवश्यक बताया जा रहा है।

वहीं कांग्रेस का कहना है कि NDRF के तहत मिलने वाली सहायता कोई राजनीतिक अनुदान नहीं, बल्कि संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जिसे किसी राज्य को उसकी आपदा की तीव्रता के आधार पर दिया जाता है। कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र द्वारा दी गई राशि पर राजनीतिक श्रेय लेने के बजाये यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह सहायता समय पर, पर्याप्त मात्रा में और बिना प्रशासनिक बाधाओं के ज़मीनी स्तर तक पहुंच रही है या नहीं।

कांग्रेस यह भी सवाल उठा रही है कि 601.92 करोड़ रूपये की राशि हिमाचल में हुए कुल नुकसान के मुकाबले कितनी पर्याप्त है। पिछले वर्षों में हुए जान-माल के नुकसान, ढांचागत तबाही और पुनर्वास की व्यापक जरूरतों को देखते हुये कांग्रेस का कहना है कि राहत राशि कई बार वास्तविक जरूरतों से कम पड़

शेष पृष्ठ 8 पर........

# नशे के खिलाफ जन–जागरूकता और युवाओं की भागीदारी जरूरी:राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए जन–जागरूकता और जनभागीदारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जागरूक नागरिक सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में यूथ एनलाइटनमेंट सोसायटी यस द्वारा आयोजित सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा आज एक वैश्विक चुनौती बन चुका है और नशा–मुक्त हिमाचल के लिए युवाओं को दृढ़ संकल्प के साथ आगे आना होगा।

उन्होंने कहा कि संस्कृति और सामाजिक चेतना समाज को सकारात्मक दिशा देती है। यस जैसे संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में जोड़कर उन्हें नशे से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने स्वस्थ, सशक्त और नशा–मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों का आहवान किया।

इससे पूर्व यस के राज्य अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित नुक्कड़ नाटिका तथा अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय, सुन्नी के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।

कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, संस्था के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# भारतीय अर्थशास्त्र संघ के 108वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का समापन

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय अर्थशास्त्र संघ

के 108वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन नीति संवाद और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच है।

सम्मेलन की थीम 'इंडियाज पर्स्पेक्टिव विकसित भारत 2047' का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और मानवीय मूल्यों का संवर्धन भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ–साथ डिजिटल अवसंरचना, नवाचार, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान, अवसर और संतुलित विकास सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है।

राज्यपाल ने अर्थशास्त्रियों से आहवान किया कि वे अपने शोध और विचारों का उपयोग समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के निर्माण में करें, ताकि देश का विकास व्यापक और टिकाऊ हो सके।

# राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने क्रिसमस पर दी शुभकामनाएं

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के सत्य, प्रेम और करुणा के शाश्वत संदेश को स्मरण करने का पर्व है, जो समाज में सद्भाव और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि क्रिसमस आपसी सौहार्द, भाईचारे और निःस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे दया, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लेकर आए।

# नरदेव सिंह कंवर ने नई दिल्ली में संयुक्त सचिव से की भेंट, मनरेगा व कामगार कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह

कंवर ने आज नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष ए.टी. पेडणेकर से भेंट कर लेबर चौक, मनरेगा श्रमिकों, सेस पोर्टल और प्रशासनिक व्यय से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर नरदेव सिंह कंवर ने मनरेगा के तहत राशि व्यय को केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर किए जाने की मांग रखी। संयुक्त सचिव ने बताया कि नए कानून के अंतर्गत 90ः10 के अनुपात से होने वाले व्यय को केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि लेबर चौक और सेस पोर्टल से संबंधित मामलों में बोर्ड को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा एक विशेषज्ञ टीम भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हर वर्ष आपदाओं से प्रभावित होता है, जिससे जान–माल का भारी नुकसान होता है। ऐसे में प्रदेश को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त केंद्रीय लाभ दिए जाने चाहिए। उन्होंने वर्तमान जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक व्यय बढ़ाने का आग्रह भी किया, जिस पर संयुक्त सचिव ने अलग से प्रस्ताव भेजने पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष ने संयुक्त सचिव को बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र श्रमिकों की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे श्रमिक हित में एक दूरदर्शी कदम बताया।

नरदेव सिंह कंवर ने यह भी अवगत कराया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार विधवा, एकल, दिव्यांग और निराश्रित महिला श्रमिकों को घर निर्माण के लिए तीन–तीन लाख रुपये की सहायता दी जा रही है, जिस पर संयुक्त सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की।

**शैल समाचार**
**संपादक मण्डल**

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

# राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन गरिमा, मर्यादा और सम्मान से परिपूर्ण था, जो आज की राजनीति के लिए प्रेरणास्रोत है।

राज्यपाल ने वाजपेयी को महान राजनेता, सच्चा राष्ट्रवादी और भारतीय राजनीति के अग्रणी नेताओं में से एक बताते हुए कहा कि वे सदैव राष्ट्रहित के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ उनके विशेष संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाजपेयी जी प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे और उनके योगदान को हमेशा स्मरण रखा जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व एवं नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधायक बलबीर सिंह वर्मा, महापौर सुरेन्द्र चौहान, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, उप–महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# महापौर ने राज्यपाल को शिमला विंटर कार्निवल के समापन समारोह के लिए किया आमंत्रित

**शिमला/शैल।** शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने

उप–महापौर उमा कौशल के साथ लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भेंट कर उन्हें 1 जनवरी, 2026 को आयोजित शिमला विंटर कार्निवल के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।

महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर यह कार्निवल 24 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्निवल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं, व्यंजनों और विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस वर्ष कार्निवल की थीम 'नशा मुक्त हिमाचल' रखी गई है।

इस पहल की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं, बल्कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रखने में भी सहायक होते हैं।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री भी उपस्थित रहे।

# स्टार्टअप पुरस्कार और सांस्कृतिक संध्या बनेंगे हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का प्रमुख आकर्षण

**शिमला/शैल।** हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी 2026 को भव्य रूप से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर स्टार्टअप पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवोदित और स्थापित स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।

उद्योग विभाग के अनुसार यह पहल प्रदेश के उन उद्यमियों के लिए प्रेरणा बनेगी, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार और परिश्रम से अपने विचारों को सफल व्यवसाय का रूप दिया है। यह सम्मान युवाओं को नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने का माध्यम बनेगा।

सम्मान समारोह के उपरांत आयोजित सांस्कृतिक संध्या उद्घाटन दिवस का विशेष आकर्षण होगी। प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकार हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक संगीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। यह आयोजन उद्योग और संस्कृति के समन्वय का सशक्त संदेश देगा।

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का उद्घाटन दिवस उद्यमियों, निवेशकों और आम जनता के लिए व्यापारिक अवसरों और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। स्टार्टअप पुरस्कार और सांस्कृतिक संध्या के साथ महोत्सव का पहला दिन प्रेरणा, सम्मान और उत्सव का यादगार प्रतीक बनेगा।

# मनरेगा समाप्त करने का केंद्र सरकार का फैसला जनविरोधी:मुख्यमंत्री

## शिमला रिज पर मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री का धरना

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा समाप्त करने के निर्णय के विरोध में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ धरना दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की जीवनरेखा रही है और इसे समाप्त करना जनविरोधी कदम है। उन्होंने कहा कि यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें पंचायतों और ग्राम सभाओं की अहम भूमिका थी। नई व्यवस्था से स्थानीय जरूरतों की अनदेखी होगी।

सुक्खू ने कहा कि पहले हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की 100 प्रतिशत मजदूरी केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि अब 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि योजना को पंचायतों की मांग और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप ही संचालित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ जिला और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन कर जनता को केंद्र सरकार के जनविरोधी निर्णय से अवगत कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई व्यवस्था में जिला परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय को समाप्त करना प्रशासनिक रूप से अनुचित है।

एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सेब पर आयात शुल्क घटाने के निर्णय का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। राज्य सरकार इस विषय को केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाएगी।

धरने में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

# मुख्यमंत्री ने पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मालरोड स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि देवभूमि में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष पांच करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ नई पहलें और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रिज और मालरोड पर पर्यटकों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में हुई घटना की पूर्ण जांच के बाद आवश्यक कारवाई की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों, विशेषकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के हित में कदम उठा रही है तथा आईजीएमसी में उनकी सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

# आईजीएमसी घटना की पुन: जांच के लिए नई समिति गठित होगी:मुख्यमंत्री

## मरीजों के साथ दुर्व्यवहार अस्वीकार्य, चिकित्सकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईजीएमसी में हुई घटना की पुन: जांच के लिए एक नई समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए चिकित्सकों के लिए अनिवार्य ह्यूमन बिहेवियर और मैन-मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों के प्रति चिकित्सकों के व्यवहार के आधार पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में अंक शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज या तीमारदार द्वारा चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो संबंधित चिकित्सक इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कारवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी बिना मानसिक दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अब तक स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों पद भरे जा चुके हैं और आगे भी भर्तियां की जाएंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ चिकित्सकों को सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देने पर सरकार विचार कर रही है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव संदीप कदम, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. राकेश शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. गोपाल बेरी, विशेष सचिव डॉ. अश्वनी शर्मा, जितेंद्र सांजटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# औषधीय भांग से हिमाचल को मिलेगी नई पहचान

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 'ग्रीन टू गोल्ड' पहल के तहत औद्योगिक एवं औषधीय उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ विकास के नए पथ पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

राज्य में वर्षों से जंगली रूप में उगने वाली भांग को अब औद्योगिक संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पर्यावरण अनुकूल वस्त्र, कागज, पैकेजिंग सामग्री, कॉस्मेटिक्स, बायो- "यूल और बायो-प्लास्टिक जैसे उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को वैश्विक बायो-इकॉनोमी का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। नीति के तहत औद्योगिक भांग में टीएचसी की मात्रा 0.3 प्रतिशत से कम रखी जाएगी, जिससे नशे की कोई संभावना नहीं रहेगी। 24 जनवरी, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने नियंत्रित खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अनुमान है कि इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से राज्य को प्रतिवर्ष 500 से 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है।

यह पहल किसानों के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि भांग एक जलवायु-अनुकूल फसल है, जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता। विश्वविद्यालयों के सहयोग से उच्च उपज और कम टीएचसी वाले बीज विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नशे को नहीं, बल्कि उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दे रही है, ताकि राज्य की प्राकृतिक संपदा का सीधा लाभ किसानों, युवाओं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल सके।

# अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाने पर जोर

## डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में निगम की 54वीं बैठक आयोजित

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की 54वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय एवं दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार के लिए 30 लाख रुपये तक का टर्म लोन, 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण तथा स्वयं सहायता समूहों को उपकरण एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वर्ष कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला में आयोजित शिविरों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जबकि आगामी समय में कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, ऊना और मंडी जिलों में भी शिविर प्रस्तावित हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि बीते तीन वर्षों में लगभग 1000 से अधिक अल्पसंख्यक लाभार्थियों को करीब 70 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। साथ ही, ऋण वसूली दर 80 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो निगम की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को निगम के निदेशक के रूप में नामित करने सहित विभिन्न एजेंडों और ऑडिटेड बैलेंस शीट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

# युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में सार्थक पहल है 'रिवाज': आर.एस. बाली

**शिमला/शैल।** युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के उद्देश्य से यूथ एनलाइटनमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम 'रिवाज' का शुभारंभ आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में हुआ।

कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि 'रिवाज' युवाओं को सकारात्मक दिशा देने, उन्हें नशे से दूर रखने और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। ऐसे मंच युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर यूथ एनलाइटनमेंट सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष मोहित ठाकुर और महासचिव तिजेंद्र ठाकुर ने भी कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और युवाओं से समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पारंपरिक समूह नाटी प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग दस टीमों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने लोकनृत्य की जीवंत और रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। सुप्रसिद्ध गायक कुलदीप शर्मा ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा।

वर्ष में दो दिन ऐसे होते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते: कल और परसों।
......महात्मा गांधी

## सम्पादकीय

# युवाओं को नशे से बचाना सरकार और समाज की कठोर परीक्षा

हिमाचल प्रदेश की पहचान हमेशा से शांत वादियों, सुदृढ़ सामाजिक मूल्यों और अनुशासित जीवनशैली से रही है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने इस पहचान को गहरी चोट पहुंचाई है। चिट्टा, स्मैक, सिंथेटिक ड्रग्स और शराब की लत ने युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में लिया है। यह केवल स्वास्थ्य या कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य के सामाजिक ढांचे और भविष्य पर सीधा हमला है। ऐसे में सरकार की भूमिका, उसकी नीतियों की प्रभावशीलता और समाज की जिम्मेदारी-तीनों की कड़ी परीक्षा हो रही है।

नशा किसी एक कारण से पैदा नहीं होता। इसके पीछे बेरोजगारी, असफलता का डर, मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा का दबाव, पारिवारिक संवाद की कमी और आधुनिक जीवनशैली की खोखली चमक जैसे कई कारक हैं। हिमाचल जैसे पर्यटन और सीमावर्ती राज्य में मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता इस समस्या को और गंभीर बना देती है। ऐसे में यह भ्रम पालना कि केवल पुलिस कारवाई से नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है, एक खतरनाक आत्मसंतोष होगा।

यह सच है कि हिमाचल सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस और विशेष टास्क फोर्स की कारवाई ने कई नेटवर्क तोड़े हैं और यह संदेश दिया है कि राज्य में नशे के कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दमनात्मक कारवाई नशे की समस्या का केवल एक पहलू है, समाधान नहीं। जब तक मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के रास्ते नए-नए रूपों में निकलते रहेंगे।

सरकार ने इस सच्चाई को कुछ हद तक स्वीकार करते हुए जागरूकता अभियानों और पुनर्वास पर ध्यान दिया है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यक्रम, सार्वजनिक अभियानों के जरिए संदेश और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था-ये सभी सकारात्मक कदम हैं। नशे को अपराध नहीं, बल्कि बीमारी मानकर उपचार की ओर बढ़ना एक जरूरी और मानवीय दृष्टिकोण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त गहराई तक पहुंच पा रहे हैं, या फिर ये भी कई बार औपचारिकता बनकर रह जाते हैं?

सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि नशा निवारण को अब भी अक्सर अभियान की तरह देखा जाता है, जबकि यह एक लंबी और निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है। स्कूलों और कॉलेजों में स्थायी काउंसलिंग व्यवस्था का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। जब तक युवाओं के मानसिक दबाव, असुरक्षा और अवसाद को समय रहते नहीं समझा जाएगा, तब तक नशा उनके लिए आसान पलायन बना रहेगा।

परिवारों की भूमिका पर भी सख्ती से आत्ममंथन जरूरी है। माता-पिता की व्यस्तता, संवाद की कमी और कई बार सामाजिक दिखावे की दौड़ में बच्चों की वास्तविक स्थिति अनदेखी रह जाती है। जब परिवार ही शुरुआती संकेत नहीं पहचान पाएगा, तो सरकार या पुलिस से चमत्कार की उम्मीद करना अव्यावहारिक है।

समाज और समुदाय की निष्क्रियता भी उतनी ही चिंताजनक है। पंचायतें, युवक मंडल और सामाजिक संगठन यदि केवल दर्शक बने रहेंगे, तो नशे के खिलाफ लड़ाई कभी निर्णायक नहीं हो सकती। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब समाज खुद नशे के खिलाफ खड़ा हो और इसे सामूहिक अपमान के रूप में देखे।

डिजिटल युग में नशे की चुनौती भी डिजिटल हो चुकी है। ऑनलाइन नेटवर्क, सोशल मीडिया और नए तरीकों से फैलता नशा सरकार की पारंपरिक रणनीतियों को बार-बार चुनौती दे रहा है। इसके मुकाबले के लिए उतनी ही आक्रामक और आधुनिक सोच की जरूरत है।

हिमाचल में नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं है। सरकार नीति बना सकती है और कानून लागू कर सकती है, लेकिन समाज की भागीदारी के बिना यह लड़ाई अधूरी रहेगी। यदि आज भी हम इसे दूसरों की समस्या समझकर टालते रहे, तो कल इसकी कीमत पूरे राज्य को चुकानी पड़ेगी। युवाओं को नशे से बचाना विकल्प नहीं, अनिवार्यता है-और इसमें सरकार, समाज और परिवार, तीनों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी।

# बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा पर एक हिन्दू की हत्या इस्लामिक मान्यता और न्याय शास्त्र दोनों के खिलाफ

गौतम चौधरी

भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जुलाई-अगस्त 2024 से बेहद परेशान है। इस्लामिक चरमपंथियों ने एक बार फिर से बांग्लादेश को तबाही की ओर ढ़केल दिया है। पिछले वर्ष अगस्त में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने शेख़ हसीना की सरकार को हटा दिया था। साथ ही इस हिंसा ने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया जिस पर वह पिछले कई सालों से सावधानीपूर्वक बढ़ रहा था। उसी हिंसक आन्दोलन की दूसरी कड़ी में विगत दिनों एक चरमपंथी छात्रा नेता को किसी ने गोली मार दिया। इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी। छात्र नेता लगातार भारत विरोधी ब्यान के कारण सुर्खियों में था। उस छात्रा नेता की किसने हत्या की अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन इसकी आड़ में पूरा बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा।

दूसरी ओर बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू मज़दूर की बेरहमी से लिंचिंग कर हत्या केवल इसलिये कर दी गयी कि वह हिन्दू था। यह केवल एक मानव जीवन की क्षति नहीं है, यह पूरे समाज के नैतिक विवेक के क्षरण का संकेत है। इस्लाम के अपमान के एक अप्रमाणित आरोप के बाद हुई यह घटना एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप को एक असहज सच्चाई का सामना करने को मजबूर कर दिया है। ईशनिंदा के आरोपों का बढ़ते हुये हिंसा को वैध ठहराने, न्याय को दरकिनार करने और कमजोर वर्गों को चुप कराने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे कृत्य अकसर धर्म के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वे स्वयं इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विपरीत हैं।

दक्षिण एशिया में, विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में, ईशनिंदा के आरोप एक खतरनाक सामाजिक हथियार बन चुका है। अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं, भावनाएं भड़काई जाती हैं और भीड़ स्वयं न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका आकर खड़ा हो जाता है। तथ्य सत्यापित होने या सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से पहले ही, बस चंद घंटों में परिवार तबाह हो जाते हैं। अल्पसंख्यकों, असहमत लोगों या सामाजिक रूप से कमजोरों के लिए मात्र आरोप ही मौत का फरमान बन जाता है।

हर ईशनिंदा के आरोप के पीछे एक भयभीत इंसान होता है, जिसके माता-पिता, बच्चे, सहकर्मी और सपने होते हैं। बांग्लादेश के हालिया मामले में आरोपी को न तो बचाव का अवसर मिला, न जांच का, न ही जीवन का। उसकी हत्या करुणा के क्षरण को दर्शाती है, जहां संवेदना की जगह आक्रोश और न्याय की जगह संदेह ले लेता है। यह पैटर्न नया नहीं है। पाकिस्तान में अदालतों द्वारा बाद में आरोप निराधार पाये जाने के बावजूद दर्जनों लोगों को भीड़ ने मार डाला। भारत में, जहां कानूनी सुरक्षा अपेक्षाकृत मजबूत है, फिर भी 'धार्मिक भावनाएं आहत करने' के आरोपों का उपयोग लेखकों, कलाकारों और अल्पसंख्यकों को डराने के लिए किया गया है। साझा सूत्र है भय, जो दुष्प्रचार और नैतिक घबराहट से और बढ़ जाता है। सबसे चिंताजनक दावा यह है कि ऐसी हिंसा धार्मिक रूप से जायज़ ठहरा दी जाती है। इस दावे की गंभीर जांच आवश्यक है।

लोगों के बीच प्रचलित धारणा के विपरीत, पवित्र कुरान ईशनिंदा के लिए किसी सांसारिक दंड का प्रावधान नहीं करता। इस मामले में बरेलवी संप्रदाय के इस्लामिक विद्वान, मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब कहते हैं, ''सदियों से अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस बात पर ज़ोर दिया है। कुरान स्वीकार करता है कि आस्थावान लोगों को अपमान और उपहास सहना पड़ेगा, मसलन, 'तुम अवश्य ही उन लोगों से बहुत सी तकलीफ़देह बातें सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और बहुदेववादियों से भी, पर यदि तुम धैर्य रखो और ईश्वर का ध्यान रखो, तो यह बड़े संकल्प की बात है।'' (कुरान 3:186)। एक अन्य आयत मुसलमानों को हिंसक प्रतिशोध के बजाये अलग हो जाने का निर्देश देती है, 'और जब तुम सुनो कि ईश्वर की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो उनके साथ मत बैठो जब तक वे विषय न बदल लें।' (कुरान 4:140)। इससे यह साफ हो जाता है कि अपमान या उपहास से संबंधित किसी भी कुरानी आयत में चौकसी-न्याय, लिंचिंग तो दूर सामान्य दंड का भी आदेश नहीं हे।

पैग़म्बर मुहम्मद का जीवन मुसलमानों के लिए सबसे प्रामाणिक मार्गदर्शक माना जाता है। शास्त्रीय इतिहासकारों ने ऐसे अनेक प्रसंग दर्ज किए हैं जब पैग़म्बर का व्यक्तिगत रूप से अपमान, उपहास किया गया। ताइफ़ में उन पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि वे लहूलुहान हो गए। जब दैवी प्रतिशोध का विकल्प दिया गया, तो उन्होंने इनकार किया और अपने हमलावरों के लिए दुआ की। इस्लाम के महान धर्मशास्त्री इमाम अल-ग़ज़ाली ने ज़ोर दिया कि व्यक्तिगत अपमान निजी प्रतिशोध को उचित नहीं ठहराते और नैतिक संयम एक उच्च इस्लामी गुण है। इसी तरह, कठोरपंथियों द्वारा उद्धृत किए जाने वाले इब्न तैमिय्या ने एक महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट किया। जहां ईशनिंदा पर दंड मान्य भी माना गया, वह राज्य का विषय था, न्यायिक अधिकार, विधिसम्मत प्रक्रिया और स्पष्ट प्रमाण के साथ, न कि भीड़ की कारवाई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मामलों में पश्चाताप दंड को निष्प्रभावी कर सकता है।

इस्लामी न्यायशास्त्र (फ़िक़ह) में ईशनिंदा पर बहसें अवश्य हैं, लेकिन वे आधुनिक नारों से कहीं अधिक सूक्ष्म हैं। हनफ़ी फ़िक़ह के संस्थापक इमाम अबू हनीफ़ा (जिसका दक्षिण एशिया में व्यापक अनुसरण है) का मत था कि इस्लामी शासन में गैर-मुसलमानों को ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और उन्होंने संयम पर ज़ोर दिया। आधुनिक विद्वान तर्क देते हैं कि प्रारंभिक इस्लामी इतिहास में ईशनिंदा से जुड़े दंड राजनीतिक ग़द्दारी और हिंसक उकसावे से जुड़े थे, न कि मात्र कथन या कथित अपमान से। एक बिंदु पर विद्वानों में सर्वसम्मति है, ''भीड़ का न्याय इस्लाम में पूर्णतः निषिद्ध है।''

इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान कहता है, 'किसी समुदाय के प्रति द्वेष तुम्हें अन्याय करने पर न उकसाए। न्याय करो, यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है' (कुरान 5:8)। पैग़म्बर ने सामूहिक दंड और भावनात्मक निर्णयों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, 'संदेह से बचो, क्योंकि संदेह सबसे झूठी बात है' (बुख़ारी)। बिना मुक़दमे लिंचिंग, सार्वजनिक अपमान और हत्या न्याय, दया और जीवन की पवित्रता (हुरमत-अन-नफ़्स) जैसे इस्लामी मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। उपमहाद्वीप में ईशनिंदा क़ानूनों का दुरुपयोग इस्लामी शिक्षा का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक हेरफेर और धार्मिक अशिक्षा का परिणाम है। धर्म की रक्षा के लिए लोगों की हत्या आवश्यक नहीं है, आवश्यक है न्याय, सत्य और करुणा की स्थापना करना। जो समाज भीड़ को अपराध तय करने देता है, वह कानून और धर्म, दोनों के लिए घातक है।

बांग्लादेश की यह त्रासदी एक चेतावनी है। यदि ईशनिंदा के आरोपों का हथियारीकरण जारी रहा, तो और निर्दोष जानें जाएंगी और इस्लाम को दया के बजाये क्रोध व आतंक का धर्म के रूप में प्रचारित करना आसान हो जाएगा। धर्म के प्रति सच्चा आदर हिंसा में नहीं, संयम में है। भय में नहीं, न्याय में है। इस नैतिक स्पष्टता को पुन: प्राप्त करना केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व भी है।

# प्राकृतिक खेतीः हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की राह

**शिमला।** हिमाचल प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को समझने के लिए एक तथ्य सबसे पहले सामने आता है। यह राज्य मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। यहां के गांव, खेत, बागान और पशुपालन न केवल आजीविका का साधन हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने की रीढ़ भी हैं। ऐसे में जब प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को अपनी विकास नीति के केंद्र में लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, तो इसे एक सामान्य कृषि योजना के रूप में देखना भूल होगी। यह दरअसल विकास की उस धारा से हटकर कदम है, जिसमें केवल शहरीकरण, उद्योग और उपभोग को प्रगति का पर्याय माना जाता रहा है।

प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 54 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। इन आंकड़ों के बावजूद लंबे समय तक कृषि को नीति निर्धारण में वह प्राथमिकता नहीं मिल पाई, जिसकी वह हकदार थी। खेती धीरे-धीरे घाटे का सौदा बनती गई, युवा इससे दूर होते गए और गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया। इसी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का वर्तमान प्रयास एक नीतिगत हस्तक्षेप से कहीं अधिक, एक वैचारिक परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए।

**रासायनिक खेती से उपजी चुनौतियां**

पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खेती को उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन माना गया। शुरुआत में इसके परिणाम उत्साहजनक रहे, लेकिन समय के साथ इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता ने खेती की लागत को लगातार बढ़ाया, मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाया और जल स्रोतों को प्रदूषित किया। हिमाचल जैसे पर्वतीय और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य में इसके प्रभाव और भी गंभीर रहे।

किसानों की आय बढ़ने के बजाय स्थिर या अस्थिर होती चली गई। बाजार की अनिश्चितता, बिचौलियों की भूमिका और समर्थन मूल्य की सीमित पहुंच ने खेती को जोखिम भरा बना दिया। परिणामस्वरूप कृषि से मोहभंग बढ़ा और गांवों की आर्थिक गतिशीलता कमजोर पड़ने लगी।

**प्राकृतिक खेती विकल्प नहीं, आवश्यकता**

ऐसे समय में प्राकृतिक खेती केवल एक वैकल्पिक मॉडल नहीं, बल्कि आवश्यकता बनकर सामने आई है। यह खेती की उस परंपरागत समझ की ओर लौटने का प्रयास है, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर उत्पादन किया जाता था। कम लागत, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, मिट्टी और पर्यावरण का संरक्षणये सभी इसके मूल तत्व हैं।

हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को संस्थागत रूप देना इस बात का संकेत है कि राज्य अब अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार का यह मानना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे नीति और क्रियान्वयन में लगातार प्रतिबिंबित होना होगा।

**न्यूनतम समर्थन मूल्यरू भरोसे की बुनियाद**

प्राकृतिक खेती को लेकर सबसे बड़ा और साहसिक कदम प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करना है। हिमाचल प्रदेश इस मामले में देश का पहला राज्य बना है, जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया। यह निर्णय इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तो मिलता रहा, लेकिन किसानों को बाजार सुरक्षा नहीं मिल पाती थी।

मक्का, गेहूं, कच्ची हल्दी और जौ जैसी फसलों पर घोषित समर्थन मूल्य ने किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी उपज का मूल्य तय है और सरकार उनके साथ खड़ी है। यह भरोसा किसी भी कृषि सुधार की पहली शर्त होता है। यदि किसान को यह आश्वासन न हो कि उसकी फसल बिकेगी और उचित दाम मिलेगा, तो वह किसी भी नई पद्धति को अपनाने से हिचकता है।

**ग्रामीण आय और आत्मसम्मान**

प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल लागत में कमी या उत्पादन में वृद्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण आय और आत्मसम्मान की बहाली हो सकती है। गोबर खरीद, देशी गाय को बढ़ावा, गोशालाओं के सुधार के लिए सहायता ये कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी हैं। इससे पशुपालन, जो लंबे समय से उपेक्षित रहा, फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सकता है।

सीधे बैंक खातों में भुगतान (डीबीटी) की व्यवस्था ने पारदर्शिता बढ़ाई है और बिचौलियों की भूमिका को सीमित किया है। यह ग्रामीण शासन व्यवस्था में भरोसे के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

**ब्रांडिंग और बाजार की चुनौती**

हालांकि प्राकृतिक खेती की सफलता केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रह सकती। असली परीक्षा बाजार में होती है। 'हिम भोग हिम मक्की', 'हिम चक्की आटा', 'हिम दलिया' और 'हिम हल्दी' जैसे ब्रांड नामों के तहत उत्पादों को बाजार में उतारना एक सकारात्मक पहल है। इससे हिमाचली उत्पादों को पहचान मिलती है और उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा होता है।

लेकिन ब्रांडिंग तभी सफल होगी, जब इसके साथ निरंतर गुणवत्ता, पर्याप्त आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित किए जाएं। शहरी और बाहरी बाजारों तक पहुंच, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ाव और निजी क्षेत्र की भागीदारी इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

**पांगी और क्लस्टर मॉडलः स्थानीय समाधान**

चंबा जिले के जनजातीय पांगी उप-मंडल को प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करना प्रतीकात्मक और व्यावहारिक-दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक खेती को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जा सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रें में औषधीय जड़ी-बूटियां, हल्दी और केसर जैसी उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देना ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

हिम उन्नति (हिम कृषि योजना) के तहत क्लस्टर आधारित विकास यह संकेत देता है कि सरकार अब बिखरे हुए प्रयासों के बजाये संगठित और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति पर काम कर रही है। यदि इन क्लस्टरों को तकनीकी सहायता, प्रसंस्करण इकाइयों और विपणन से जोड़ा गया, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है।

**पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियां**

हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए प्राकृतिक खेती का पर्यावरणीय पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल स्रोतों का संरक्षण, मिट्टी की सेहत और जैव विविधता का संतुलन-ये सभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनिवार्य हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसी कृषि पद्धतियां ही टिकाऊ सिद्ध होंगी, जो प्रकृति के साथ टकराव के बजाये सहयोग पर आधारित हों।

**चुनौतियां और सावधानियां**

यह स्वीकार करना होगा कि प्राकृतिक खेती कोई जादुई समाधान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, विस्तार सेवाएं और किसानों के अनुभवों को साझा करने की व्यवस्था जरूरी है। प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन में उतार-चढ़ाव संभव है, जिसे लेकर धैर्य और नीति समर्थन आवश्यक होगा।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्राकृतिक खेती केवल एक राजनीतिक नारा बनकर न रह जाए। इसे दीर्घकालिक नीति के रूप में संस्थागत करना ही इसकी सफलता की कुंजी है।

प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है-ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का, किसानों के आत्मसम्मान की बहाली का और पर्यावरण के साथ संतुलित विकास का। यदि सरकार इस दिशा में निरंतरता, पारदर्शिता और किसान -केंद्रित दृष्टिकोण बनाये रखती है, तो हिमाचल न केवल देश का पहला पूर्ण प्राकृतिक खेती राज्य बन सकता है, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है।

यह प्रयोग सफल होता है या नहीं, यह आने वाले वर्षों में तय होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि प्राकृतिक खेती ने हिमाचल क0 विकास विमर्श को एक नई दिशा दे दी है-और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

# 2025ः भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की आधारशिला

**शिमला।** वर्ष 2025 भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक प्रगति के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। यह वर्ष उस परिवर्तन का प्रतीक बन गया, जिसमें भारत ने तकनीक का केवल उपभोक्ता रहने के बजाये वैश्विक तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में ठोस और परिणामोन्मुख कदम उठाए। विकसित भारत@2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य को साकार करने की दिशा में यह वर्ष तकनीकी आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखता है।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान एवं महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में नीतिगत सुधार, बड़े निवेश और संस्थागत सशक्तिकरण के माध्यम से भारत ने अपनी तकनीकी संप्रभुता को मजबूती प्रदान की है।

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसः समावेशी डिजिटल शक्ति**

इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ भारत ने नैतिक, सुरक्षित और मानव-केंद्रित एआई के विकास को प्राथमिकता दी है। 38,000 से अधिक जीपीयू की राष्ट्रीय कंप्यूट क्षमता और रियायती दरों पर उपलब्ध कंप्यूट संसाधनों ने एआई तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान प्राप्त करना, देश के मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम और प्रतिभा आधार का प्रमाण है।

**सेमीकंडक्टरः रणनीतिक आत्मनिर्भरता की ओर**

सेमीकंडक्टर निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हुए भारत ने 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन इकाइयों की स्थापना, स्वदेशी प्रोसेसर विकास और 'वोकल फॉर लोकल' को नीति का केंद्र बनाया। छः राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित इकाइयां भारत को वैश्विक चिप वैल्यू चेन में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रही हैं।

**महत्वपूर्ण खनिज और चक्रीय अर्थव्यवस्था**

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से भारत ने दुर्लभ मृदा तत्वों और रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। खनन के साथ-साथ पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर भारत ने चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को स्थायित्व मिलेगा।

**अंतरिक्ष विज्ञानः वैश्विक मंच पर भारत**

निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की आईएसएस यात्रा और निजी अंतरिक्ष उद्योग की बढ़ती भागीदारी ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्तियों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है। इन-स्पेस के माध्यम से निजी नवाचार को संस्थागत समर्थन मिला है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार और निवेश को नई गति मिली है।

**परमाणु ऊर्जाः स्वच्छ ऊर्जा का सशक्त आधार**

आणविक ऊर्जा विधेयक, 2025 ने परमाणु क्षेत्र में सुधारों का नया अध्याय शुरू किया। रिकॉर्ड बिजली उत्पादन, स्वदेशी रिएक्टर तकनीक और नई परियोजनाओं ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को मजबूती प्रदान की है।

**अनुसंधान एवं नवाचारः भविष्य की तैयारी**

एक लाख करोड़ रुपये के आरडीआई फंड और 'विज्ञान धारा' पहल के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार और प्रयोगशाला से जमीन तक तकनीक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया है। यह भारत को वैश्विक अनुसंधान मानचित्र पर एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

वर्ष 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी आत्मनिर्भरता अब भारत के लिए केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि साकार होती वास्तविकता है। नवाचार, स्वदेशी क्षमताओं और वैश्विक सहयोग के संतुलन के साथ भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।

# 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के सपनों को मिल रहा नया आसमान

**शिमला।** प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार किया है, जो माता-पिता के स्नेह, सामाजिक सुरक्षा और अवसरों से वंचित रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य की राह दिखाई है।

मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 6,000 बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है, जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

राज्य सरकार इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं। अब तक 371 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1.53 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जबकि 238 लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। कोचिंग, कौशल विकास अनुदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इन युवाओं को रोजगार की प्रतिस्पर्धी दुनिया में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है।

सुख-आश्रय योजना के तहत बीते तीन वर्षों में लाभार्थियों को कुल 28 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 2,635 बच्चों को वस्त्र भत्ता, 3,268 बच्चों को उत्सव भत्ता, 2,471 बच्चों को पोषण सहायता तथा स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया है। इसके अतिरिक्त 264 लाभार्थियों को 5.16 करोड़ रुपये का विवाह अनुदान भी प्रदान किया गया है।

सरकार ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए 75 युवाओं को 65.36 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। वहीं 423 लाभार्थियों को आवास निर्माण सहायता और पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 26 लाभार्थियों को 3-3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19,479 बच्चे और 453 युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना ने अनाथ और वंचित बच्चों के जीवन में एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। यह योजना न केवल कल्याणकारी सोच का प्रतीक है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि संवेदनशील और समावेशी शासन समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आने वाले समय में यह पहल और अधिक बच्चों के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

# मुख्यमंत्री ने शिमला विंटर कार्निवाल का किया शुभारम्भ

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रिज शिमला में

नगर निगम शिमला द्वारा आयोजित शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सांस्कृतिक दलों की परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने गेयटी थिएटर में चित्रकला प्रदर्शनी तथा टाउन हॉल के समीप महानाटी और होम गार्ड इंटर-बटालियन बैंड प्रतियोगिता का अवलोकन किया और 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' थीम पर आधारित कार्निवाल के आयोजन की सराहना की।

उन्होंने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल की शांत वादियां और स्वच्छ वातावरण उन्हें आनंद के साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ईको-टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने संशोधित ईको-टूरिज्म नीति अधिसूचित की है। इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा 11 ईको-टूरिज्म स्थलों का आवंटन किया जा चुका है, जबकि 27 अन्य स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्ष 2023 से नवंबर 2025 तक ईको-टूरिज्म गतिविधियों से लगभग छह करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि होम-स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई है और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन भी किया गया है।

इस अवसर पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

# 'हिम ईरा' से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिल रहा बाजार: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के उत्पादों को 'हिम ईरा' ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिमला में लिफ्ट के समीप करीब दो करोड़ रुपये की लागत से 'हिमाचल हाट' का निर्माण किया जाएगा, जहां 25 दुकानों में प्रदेश के सभी 12 जिलों के एसएचजी उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद और पारंपरिक हिमाचली व्यंजन उपलब्ध होने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एसएचजी को फूड वैन उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे उन्हें लगभग 50 हजार रुपये प्रतिमाह की आय सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,428 स्वयं सहायता समूह, 1,257 ग्राम संगठन और 189 क्लस्टर लेवल फेडरेशन गठित किए गए हैं। सरकार ने हजारों समूहों को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश राशि और जोखिम निवारण निधि भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 109 हिम ईरा स्थायी दुकानों और 81 साप्ताहिक बाजारों के माध्यम से करोड़ों रुपये का कारोबार हुआ है। साथ ही, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना और हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक हस्तशिल्प न केवल सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

# चिट्टे के खिलाफ बिलासपुर में उमड़ा जन सैलाब

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरा हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल सरकार का संकल्प है और इसे जन-आंदोलन बनाकर ही

साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से लुहणु मैदान तक आयोजित एंटी-चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें विद्यार्थियों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भारी संख्या में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन से पूर्व उपस्थित लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता शपथ दिलाई। लुहणु मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिट्टा युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे लड़ाई में समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आगे आकर इस अभियान का नेतृत्व करने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस और युवा संगठनों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में बन रहे केंद्र हेतु 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस प्रवर्तन के साथ चल रही है। हालिया अभियानों में सैकड़ों वाहनों की जांच, एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तारियां, मेडिकल दुकानों व दवा इकाइयों की सख्त जांच, राज्यव्यापी तलाशी अभियान और चिट्टा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 66 अपराधियों के खिलाफ कारवाई की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर तक नशामुक्ति को मजबूत करने के लिए प्रभावित पंचायतों में सामूहिक बैठकों का आयोजन किया गया है, जिससे समुदाय को अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

इस अवसर पर नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# मुख्यमंत्री ने बिलासपुर को दी 110 करोड़ रुपये की विकासात्मक सौगात

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 110 करोड़ रुपये की विभिन्न

विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से शहरी बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर शहर के लिए 93.30 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना तथा पुलिस लाइन बिलासपुर में 12.23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टरों की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, पीएमकेकेकेवाई योजना के तहत बिलासपुर और घुमारवीं नगर क्षेत्रों के लिए 4.38 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सीसीटीवी मैट्रिक्स डीएमएफटी (नेत्रम सर्विलांस एवं क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर) का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा, सुरक्षा व्यवस्था सशक्त बनेगी और बिलासपुर के समग्र विकास को गति मिलेगी।

# केवीके चंबा को जोन-में सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया आउटरीच का सम्मान

**शिमला/शैल।** डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कृषि विज्ञान केंद्र केवीके चंबा ने आईसीएआरअटारी, जोन- की वार्षिक कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया आउटरीच का संस्थागत पुरस्कार हासिल किया। इस श्रेणी में केवीके चंबा ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड के 72 केवीके के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

यह सम्मान किसानों तक कृषि तकनीकों, मौसम परामर्श और उपयोगी सूचनाओं के प्रभावी व समयबद्ध प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उत्कृष्ट उपयोग पर प्रदान किया गया। इसके साथ ही केवीके चंबा की फल वैज्ञानिक डॉ. नेहा धीमान को सोशल मीडिया आउटरीच में उत्कृष्ट व्यक्तिगत योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।

ये पुरस्कार केवीके जोनल कार्यशाला -2025 के दौरान शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST) जम्मू में प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि प्रो. बी. एन. त्रिपाठी, कुलपति, SKUAST जम्मू ने डॉ. धर्मेन्द्र, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, केवीके चंबा को डॉ. परविंदर श्योरण, निदेशक, आईसीएआर-अटारी, जोन-की उपस्थिति में सम्मानित किया।

इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल और निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंदर देव ने केवीके चंबा की पूरी टीम को बधाई देते हुए किसानों के साथ डिजिटल संवाद को सशक्त बनाने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि केवीके चंबा भविष्य में भी कृषि विकास और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

# एमएसएमई फेस्ट में चमकेगा हिमाचल का हुनर:हर्षवर्धन चौहान

## एक जिला एक उत्पाद बनेगा बाज़ार सेतु

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक हुनर अब स्थानीय हाट-बाज़ारों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचेगा।

तीन से पांच जनवरी तक शिमला के रिज पर आयोजित हिम एमएसएमई फेस्ट में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल मुख्य आकर्षण रहेगी, जो स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाज़ार से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ओडीओपी पहल प्रत्येक जिले की आर्थिक पहचान को सशक्त कर रही है। यह योजना किसानों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को आधुनिक बाज़ार अवसरों से जोड़कर सतत आजीविका का मजबूत आधार तैयार करती है।

उन्होंने बताया कि पहली बार प्रदेश के सभी जिलों के ओडीओपी उत्पाद एक ही मंच पर प्रदर्शित होंगे। फेस्ट में स्थापित समर्पित ओडीओपी पवेलियन के माध्यम से उत्पादक अमेज़न सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और राष्ट्रीय व्यापारियों से सीधे संवाद कर सकेंगे, जिससे ब्रांडिंग, थोक खरीद और दीर्घकालिक बाज़ार संपर्क के अवसर मिलेंगे। उद्योग मंत्री के अनुसार, प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद जैसे चंबा रूमाल, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, किन्नौर का चुल्ली तेल, लाहौल-स्पीति के सीबकथॉर्न उत्पाद, मंडी का स्टील फर्नीचर और सोलन का मशरूमॉको मूल्य संवर्धन, बेहतर पैकेजिंग और बाज़ार समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई फेस्ट में ओडीओपी का यह व्यापक प्रदर्शन बाज़ार एकीकरण की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा। प्रदेश सरकार नीति समर्थन, आधारभूत ढांचे और बाज़ार संपर्क को मजबूत कर हिमाचल के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फेस्ट आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक पेश करेगा, जहां हर जिला अपनी विशिष्ट पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।

# केंद्र सरकार ने प्रदेश के बागवानों के साथ किया विश्वासघात:रोहित ठाकुर

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब आयात नीतियों को लेकर

केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हालिया निर्णय किसान और बागवान विरोधी हैं और इससे हिमाचल के सेब बागवान गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से सेब आयात पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना बागवानों के हितों के साथ विश्वासघात है। सेब बागवानी प्रदेश की पहाड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ऐसी नीतियां लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डालेंगी।

रोहित ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना को 2023 से व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया। जहां 2022-23 में इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं 2023-24 में इसे घटाकर मात्र एक लाख रुपये कर दिया गया, जिससे बागवान सुरक्षा कवच से वंचित हो गए।

उन्होंने कहा कि कठिन आर्थिक हालात के बावजूद राज्य सरकार बागवानों के साथ खड़ी है और पिछले तीन वर्षों में 160 करोड़ रुपये की सेब खरीद की गई है। उन्होंने मांग की कि मंडी मध्यस्थता योजना में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और वित्तीय भार साझा करे।

शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि न्यूजीलैंड के बाद अन्य देश भी आयात शुल्क में छूट की मांग करेंगे, जिससे घरेलू सेब उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आयातित सेब की डंपिंग से हिमाचल की लगभग 5,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से शुल्क कटौती वापस लेने, उच्च आयात शुल्क बहाल करने और मंडी मध्यस्थता योजना में केंद्र का योगदान पुनः शुरू करने की मांग की, साथ ही कहा कि बागवानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और इस अन्याय का हर मंच पर विरोध होगा।

# मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भारत रत्न एवं

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शिमला के रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता और प्रतिभाशाली कवि थे। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सदैव स्मरण रखा जाएगा।

कार्यक्रम में शिमला नगर निगम के महापौर उप-महापौर , पार्षदगण, उपायुक्त , पुलिस अधीक्षक , नगर निगम आयुक्त सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# निवेश एवं औद्योगिक विकास को लेकर सीईओ इंटरेक्शन आयोजित

**शिमला/शैल।** हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 के तहत उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार 4 जनवरी 2026 को होटल पीटरहॉफ, शिमला में 'सीईओ इंटरेक्शन: निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए रणनीतिक संवाद' आयोजित करेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि यह उच्चस्तरीय, क्लोज्ड- डोर संवाद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन मोबिलिटी, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, डेटा सेंटर्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े देश-विदेश के सीईओ और उद्योगपति भाग लेंगे।

यह संवाद एक संरचित बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) मंच के रूप में निवेश अवसरों, नीति-सुविधाओं, नियामक सुधारों और राज्य में दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर.डी. नज़ीम ने कहा कि यह पहल निवेशक-केंद्रित नीति निर्माण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संवाद में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, आधारभूत संरचना और एमएसएमई से जुड़े एंकर निवेश, औद्योगिक क्लस्टर्स और वैल्यू-चेन एकीकरण के अवसरों पर चर्चा होगी।

निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने कहा कि यह कार्यक्रम निवेशकों का विश्वास मजबूत करने और रोजगारोन्मुख, प्रौद्योगिकी-आधारित औद्योगिक विकास के लिए रोडमैप तय करने में सहायक होगा। यह सीईओ इंटरेक्शन हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा।

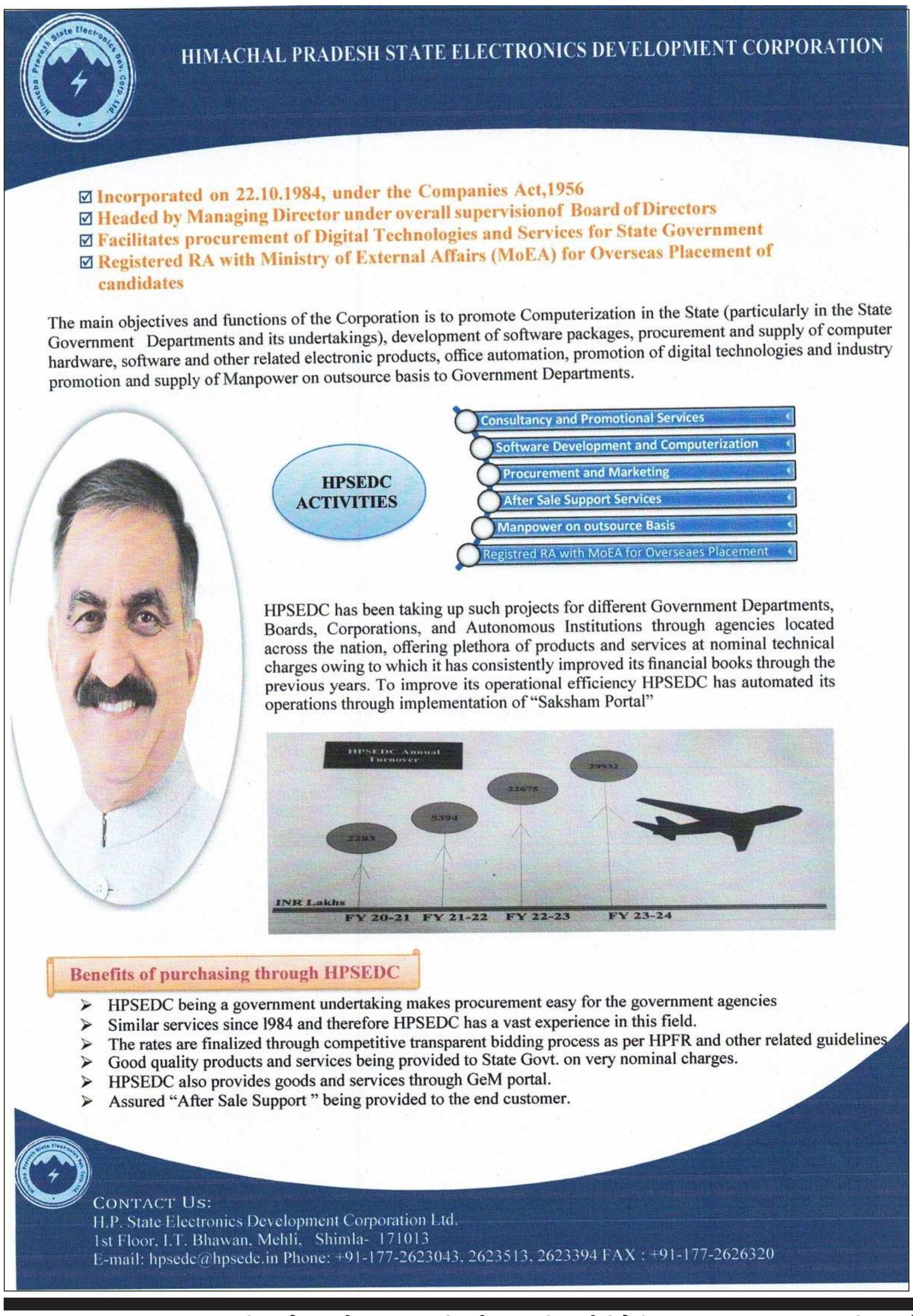


# खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हिमाचल में खेल अधोसंरचना का विकास:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर पुरस्कार राशि, डाइट मनी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि युवा खेलों की ओर आकर्षित हों।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत खेल कोटा तय किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2024 से अब तक 99 खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया है। खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए 68 खंडों और सभी जिला मुख्यालयों में युवा स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। खेल अधोसंरचना के निर्माण और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नादौन में लगभग 9,735 वर्ग मीटर क्षेत्र में 112.49 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक इंडोर बहुद्देशीय खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस परिसर में शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, जिम, कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी, योग हॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेनिस कोर्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।साथ ही, अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और खिलाड़ियों की डाइट मनी में भी वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल की बेटियां खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश खेलों के क्षेत्र में 'ग्राउंड लेवल से ग्लोबल' स्तर की ओर अग्रसर है।

# सुखाहार और फिन्ना सिंह सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश:केवल सिंह पठानिया

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सामान्य विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्य सचेतक एवं अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने सुखाहार मध्यम सिंचाई

योजना और फिन्ना सिंह सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा की।

केवल सिंह पठानिया ने बताया कि 219 करोड़ रुपये की सुखाहार मध्यम सिंचाई योजना से ज्वाली, शाहपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 45 गांवों के 24,000 किसानों की 2,186 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। योजना का लाभ शाहपुर के चंगर क्षेत्र तक भी जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का डेटा तैयार कर इसे शीघ्र पूरा कर जनता को समर्पित किया जाए और अन्य विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

फिन्ना सिंह सिंचाई योजना पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना 2011 में 204 करोड़ रुपये से शुरू हुई थी, जिसकी अनुमानित लागत अब बढ़कर 646 करोड़ रुपये हो गई है। योजना का लगभग 52 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बांध निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर मार्च 2026 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना नूरपुर और आसपास के 60 गांवों के लिए 4,025 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी।

बैठक में विधायक विनोद कुमार, जेआर कटवाल, सुदर्शन बबलू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# औद्योगिक विकास के दावों पर उठते सवाल

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार औद्योगिक विकास को लेकर आक्रामक और सक्रिय रणनीति अपनाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार राज्य को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर स्थापित करने की बात कर रही है। लेकिन इन दावों के समानान्तर विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि क्या यह औद्योगिक नीति वास्तव में रोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में ठोस परिणाम दे पाएगी, या यह केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित रह जाएगी।

सरकार द्वारा 'इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन' नीति को एक बड़े बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दुबई, जापान और मुंबई जैसे निवेश केंद्रों में किए गए संवादों के बाद 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और MOU साईन किये जाने का दावा है। आज MOU को वास्तविक निवेश मानकर प्रचारित करना भ्रामक हो सकता है। पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी हजारों करोड़ के MOU साईन किये गये थे, जिनमें से बहुत से कभी धरातल पर नहीं उत्तर सके। ऐसे में सवाल यह है कि वर्तमान सरकार इन प्रतिबद्धताओं को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए क्या ठोस समय-सीमा और निगरानी व्यवस्था बना रही है।

सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने और 32,000 रोजगार अवसर सृजित होने का दावा किया है। परियोजनाओं कि मंजूरी और क्रियान्वयन के बीच की खाई हिमाचल में हमेशा बड़ी रही है। औद्योगिक भूमि की सीमित उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरियां और आधारभूत ढांचे की कमी ऐसे कारक हैं, जो कई परियोजनाओं को कागज़ों तक सीमित कर देते हैं। यहां पर सवाल यह है कि इनमें से कितनी परियोजनाएं वास्तव में निर्माण या उत्पादन चरण में पहुंच चुकी हैं।

एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमिता को लेकर सरकार के दावों पर भी विपक्ष ने सवाल उठाये हैं। केंद्र सरकार को भेजे गए 1,642 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और 109.34 करोड़ रुपये की प्रारंभिक फंडिंग को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह राशि राज्य की जरूरतों के मुकाबले बेहद सीमित है पर जब तक बिजली, कच्चा माल, परिवहन और बाजार तक पहुंच जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक छोटे उद्योग टिकाऊ नहीं बन पाएंगे।

स्टार्टअप और नवाचार नीति को लेकर भी कुछ सवाल है। 107 स्टार्टअप्स के संचालन और 407 स्टार्टअप्स के प्रक्रियाधीन होने के सरकारी दावे के बीच यह सवाल उठता है कि इनमें से कितने स्टार्टअप्स वास्तव में लाभ में हैं और कितने केवल अनुदान आधारित प्रयोग बनकर रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति तभी सार्थक होगी जब उन्हें दीर्घकालिक बाजार समर्थन और वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत स्वीकृत 1,607 स्वरोजगार इकाइयों और 3,500 से अधिक रोजगार के आंकड़े यह बताते हैं कि यह संख्या राज्य के बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या के मुकाबले बहुत छोटी है। क्या इन स्वीकृत स्वरोजगार इकाइयों की निगरानी भी की जा रही है, ताकि वे कुछ वर्षों में बंद न हो जाएं।

निवेशक सुविधा के लिए किए गए सुधारों-जैसे सिंगल-विंडो पोर्टल और निर्माण नियमों में ढील-पर भी पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय हितों की अनदेखी के आरोप लग रहे है। आज अगर औद्योगिक विस्तार के नाम पर पर्यावरणीय मानकों से समझौता किया गया, तो इसके दीर्घकालिक सामाजिक और पारिस्थितिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

सरकार को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार 'प्रशासनिक रैंकिंग' तक सीमित है। असली मूल्यांकन पुरस्कारों से नहीं, बल्कि यह देखकर होता है कि औद्योगिक विकास से ग्रामीण आय, स्थानीय रोजगार और पलायन पर कितना प्रभाव पड़ा है।

राजनीतिक रूप से देखें तो हिमाचल में औद्योगिक नीति अब केवल आर्थिक विषय नहीं रही, बल्कि सत्ता की विश्वसनीयता की लड़ाई बन चुकी है। सरकार इसे बेसक आर्थिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताती है पर यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि इससे प्रदेश को कितना फायदा पहुंचता है।

हिमाचल की जनता के लिए निर्णायक प्रश्न यही है कि क्या यह औद्योगिक रणनीति राज्य को स्थायी रोजगार, संतुलित विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी, या यह भी पूर्ववर्ती योजनाओं की तरह राजनीतिक बयानबाज़ी में सिमटकर रह जाएगी। इसका उत्तर आने वाले वर्षों में नीतियों के क्रियान्वयन और उनके वास्तविक परिणाम ही देंगे।

# अव्यवस्था से गहराता स्वास्थ्य संकट:जयराम

**शिमला/शैल।** पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराई हुई बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाये हैं। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि केवल जुबानी दावों और कागजी योजनाओं से न तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकती हैं और न ही मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकता है। मौजूदा हालात में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों को न तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का समुचित लाभ मिल पा रहा है और न ही राज्य सरकार अपनी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर पा रही है। कागजों में योजनाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं। पूरे प्रदेश में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी कर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनेक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरने के बजाये केवल घोषणाओं और आंकड़ों तक सीमित है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अस्पतालों में न पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हैं, न जरूरी उपकरण और न ही समय पर दवाइयों की आपूर्ति हो पा रही है। इससे मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है।

आईजीएमसी शिमला में हाल ही में हुई मारपीट की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह घटना सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चेतावनी है। अस्पतालों में अव्यवस्था, अत्यधिक भीड़, सुरक्षा व्यवस्था की कमी, कार्यभार का दबाव और प्रशासनिक लापरवाही ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना से सबक लेते हुए केवल ब्यानबाजी नहीं, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जयराम ठाकुर ने मांग की कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, तुरंत खाली पदों को भरे, अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करे और दवाइयों व उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत सहित केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को प्रभावी और निर्बाध रूप से मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये योजनाएं गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रक्षक हैं, लेकिन वर्तमान में लापरवाही और अव्यवस्था के कारण आम जनता को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए मरीजों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और केंद्र से बजट मिलने के बावजूद कई आवश्यक दवाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

# आपदा राहत के आंकड़ों

...पृष्ठ 1 का शेष

जाती है और राज्य को अतिरिक्त संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

भाजपा इसे मोदी सरकार की मानवीय सोच और त्वरित निर्णय क्षमता का उदाहरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक प्रचार का हिस्सा मानता है। कांग्रेस का आरोप है कि जब भी कोई आपदा आती है, राहत राशि को राजनीतिक मंच से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि असली चुनौती पुनर्वास और दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन की होती है।

हिमाचल के आपदा पीड़ितों के लिए यह बहस कम मायने रखती है कि श्रेय किसे मिले। उनके लिए असली सवाल यह है कि राहत राशि कितनी जल्दी ज़मीनी स्तर तक पहुंचती है, पुनर्निर्माण कितनी पारदर्शिता से होता है और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिये ठोस कदम उठाये जाते हैं या नहीं। केंद्र और राज्य-दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक बयानबाज़ी से आगे बढ़कर राहत और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

आपदा के समय सहयोग राजनीति का विषय नहीं, बल्कि मानवता की कसौटी होता है। हिमाचल के संदर्भ में केंद्र की सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्यांकन तभी होगा जब यह सहायता लोगों के जीवन में सुरक्षा, भरोसा और स्थायित्व लेकर आएगी।